कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उत्तर प्रदेश।

संख्या–1फ/विशेषज्ञ/एम0बी0बी0एस0/पुनर्योजन विस्तार/2024/ लखनऊः दिनांक 21.06.2024

विशेषज्ञ /एम0बी0बी0एस0 विस्तार

–:: आदेश ::–

प्रादेशिक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के विशेषज्ञ/एम0बी0बी0एस0 चिकित्साधिकारियों के सेवानिवृत्ति के उपरान्त 65 वर्ष की आयु तक पुनर्योजन प्रदान किये जाने सम्बन्धी चिकित्सा अनुभाग–2 के शासनादेश संख्या–157/सेक–2–पॉच–14–7(255)/13, दिनांक 13.01.2014 सपठित शासनादेश संख्या–1961/सेक–2–पॉच –14–7(255)/13, दिनांक 18.06.2014, संख्या–965/सेक–2–पॉच–16–7(255)/ /2013, दिनांक 10.03.2016, शासनादेश संख्या–1858/सेक–2–पांच–17–7(67)/2017, दिनांक 22.06.2017 एवं शासनादेश संख्या–2996/सेक–2–पांच–17–7(67)/2017, दिनांक 19.07.2017में अंकित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन **निम्नलिखित परामर्शी विशेषज्ञ/एम0बी0बी0एस0 को एक वर्ष की अवधि 65 वर्ष की आयु पूर्ण होने अथवा नियमित चिकित्सा अधिकारी की तैनाती होने तक, जो भी पहले हो, के लिए सेवा विस्तार किया जाता है। एक वर्ष की अवधि की गणना, सेवा में निरन्तरता बनाये रखने वाले परामर्शियों के लिए पूर्व सेवा नियोजन/विस्तार के अंतिम दिन अथवा योगदान की तिथि से की जायेगी, को एतद् द्वारा तत्कालिक प्रभाव से निम्न प्रतिबन्धों/शर्तो के अधीन पुनर्योजित किया जाता है।**

पुनर्योजित चिकित्सकों के सेवा विस्तार हेतु उनके नियंत्रक अधिकारियों द्वारा परफार्मेस रिर्पोट के आधार पर सेवा विस्तार की संस्तुति की गयी है। नियंत्रक अधिकारी अपने स्तर से यह सुनिश्चित कर लें, कि सम्बन्धित चिकित्सा अधिकारी वर्तमान में नियमित रूप से चिकित्सालय में उपस्थित होकर शासकीय कार्य समय एवं लगन के साथ सम्पादित कर रहा है। किसी भी प्रकार का विचलन पाये जाने पर पूर्ण उत्तर दायित्व नियंत्रक अधिकारी का होगा भ्रम की स्थिति में महानिदेशालय से आवश्यक निर्देश प्राप्त किये जा सकते हैं।

(1) पुनर्योजन केवल विशेषज्ञ/एम0बी0बी0एस0 चिकित्सकों का ही किया जायेगा। विशेषज्ञ/एम0बी0बी0एस0 चिकित्सकों को कोई प्रशासकीय पद नहीं दिया जायेगा। पुनर्योजन की अवधि में इन्हें संवर्गीय पदनाम नही दिया जायेगा। पुनर्योजन की अवधि में विशेषज्ञ/एम0बी0बी0एस0 के रूप में कन्सलटेन्ट अथवा परामर्शी कहा जायेगा।

(2) पुनर्योजन की अवधि पेंशन के लिए नहीं गिनी जायेगी और पद का कार्यभार ग्रहण करने अथवा उसकी समाप्ति पर कोई यात्रा भत्ता देय नही होगा।

(3) पुनर्योजन की अवधि में वह नियत वेतन अनुमन्य होगा, जो पुनर्योजित कार्मिक के अन्तिम आहरित वेतन में से शुद्ध पेंशन की धनराशि (राशिकरण के पूर्व यदि कोई हो) घटाने के फलस्वरूप आये। पुनर्योजन की अवधि में शुद्ध वेतन+शुद्ध पेंशन के योग पर महगाई भत्ता अनुमन्य होगा, किन्तु पुनर्योजन की अवधि में पेंशन पर पृथक से महंगाई राहत अनुमन्य नहीं होगी।

(4) पुनर्योजित विशेषज्ञ/एम0बी0बी0एस0 चिकित्सकों को अस्थायी कर्मचारी की भॉति वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–2, भाग–2 से 4 के सहायक नियम–157ए तथा राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर पारित आदेशों के अनुसार अवकाश देय होगा।

(5) पुनर्योजन की अवधि में विशेषज्ञ/एम0बी0बी0एस0 चिकित्सकों को यात्रा तथा दैनिक भत्ते उनके वेतन व शुद्ध पेंशन के योग के अनुसार अनुमन्य दरों पर देय होंगे जैसा कि यात्रा भत्ता नियम–16–ए में प्राविधानित है।

(6) पुनर्योजन पर नियुक्त विशेषज्ञ/एम0बी0बी0एस0 चिकित्सकों को आपातकालीन सेवाओं/आकस्मिक सेवाओं हेतु उपलब्ध रहना होगा।

(7) जनपदवार/विशेषज्ञतावार/एम0बी0बी0एस0 पुनर्योजित चिकित्सकों की सेवायें संतोषजनक न पाये जाने पर अस्थायी सरकारी सेवक की भॉति एक माह की अग्रिम नोटिस देकर उनकी सेवायें समाप्त की जा सकेंगी।पुनर्योजन पर तैनात विशेषज्ञ/एम0बी0बी0एस0 चिकित्सक भी एक माह की अग्रिम नोटिस देकर सेवा मुक्त हो सकता है।

(8) पुनर्योजन पर तैनात विशेषज्ञ/एम0बी0बी0एस0 चिकित्सकों द्वारा मरीजों को अस्पताल में सरकारी नियमों के अन्तर्गत तउपलब्ध दवाओं को ही संस्तुत करेंगे तथा उनके द्वारा किसी भी रूप में प्राइवेट प्रैक्टिस नही की जाएगी। इसका उल्लघंन करने पर तत्काल प्रभाव से पुनर्योजन समाप्त कर दिया जायेगा।

(9) सम्बन्धित मुख्य चिकित्सा अधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/सक्षम अधिकारी द्वारा चिकित्सक की तैनाती के पूर्व चिकित्सक से इस आशय का शपथ पत्र प्राप्त कर लिया जाय कि सेवा काल के दौरान न तो सी0बी0आई0 जॉच/न तो सतर्कता जॉच न ही अनुशासनिक कार्यवाही तथा न ही कोई आपराधिक प्रकरण विचाराधीन है।

(10) सम्बन्धित चिकित्सक की तैनाती के पूर्व सम्बन्धित मुख्य चिकित्सा अधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/सक्षम अधिकारी द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि संबंधित चिकित्सक की स्वास्थ्यता के सम्बन्ध में अपेक्षित स्वास्थ्यता प्रमाणपत्र अवश्य उपलब्ध करा दिया जाय।

(11) यदि किसी चिकित्सक द्वारा पुनर्योजन के आधार पर तैनाती से पूर्व उक्तानुसार अपेक्षित शपथ पत्र और स्वास्थ्यता प्रमाण पत्र उपलब्ध नही कराया जाता है, तो उनकी तैनाती/पुनर्योजन न किया जाये, बल्कि ऐसे प्रकरणों को पुनः महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0 के संज्ञान में लाया जाय।

(12) पुनर्योजित विशेषज्ञ/एम0बी0बी0एस0 परामर्शी को जारी आदेश की तिथि से 15 दिन के अंदर प्रत्येक दशा में पुनर्योजित पद पर सेवा में योगदान कर लें, यदि 15 दिन में सेवा में योगदान नहीं करते हैं, तो यह माना जायेगा कि सम्बंधित परामर्शी कार्य करने के इच्छुक नहीं है और उनके पुनर्योजन को स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

(13) पुर्न्योजित परामर्शी चिकित्सक से प्रशासकीय कार्य को छोड़ कर अन्य समस्त चिकित्सकीय कार्य नियमित चिकित्सक के बराबर लिया जा सकेगा।

विशेषज्ञ

S. No.	Name	Seniority Number	DOB	Date of Retirement	Specialist	Place of Posting
1	2	3	4	5	6	7
1.	Dr. SUNIL KUMAR SINGH	7917	22/02/1961	28/02/2023	RADIOLOGIST	BRD Hospital Mahanagar Lucknow
2.	Dr. GIRJA SHANKER BAJPAI	6394	15/03/1961	31/03/2023	ANESTHETIST	BRD Hospital Mahanagar Lucknow
3.	Dr. OM PRAKASH VERMA	9033	20/03/1961	31/03/2023	EYE SURGEON	District Male Hospital Agra
4.	Dr. JAI PRAKASH	9609	7/7/1959	31/07/2021	SKIN AND VENEREAL DISEASE SPECIALIST	Under CMO Fatehpur
5.	Dr. CHANDRA ANOOP PRASAD SINHA	8586	3/3/1961	31/03/2023	ORTHOPAEDICS SPECIALIST	District Combined Hospital Chakiya Chandauli
6.	Dr. MADAN LAL AGARWAL	6793	1/1/1960	31/12/2021	PAEDIATRICIAN	Distrirct Combined Hospital Sanjay Nagar Ghaziabad
7.	Dr. BRAHM DEO	6951	20/01/1960	31/01/2022	ANESTHETIST	District Male Hospital Mathura
8.	Dr. AKHILENDRA SINGH CHANDEL	10107	11/11/1959	30/11/2021	ANESTHETIST	Balrampur Hospital Lucknow
9.	Dr. SANTOSH KUMAR	8418	7/12/1959	31/12/2021	ORTHOPAEDICS SPECIALIST	PT. D.D.U . District Hospital Varanasi
10.	Dr. BASANT BALLABH BHATT	7054	5/10/1959	31/10/2021	ANESTHETIST	Balrampur Hospital Lucknow
11.	Dr. AMITABH KUMAR SRIVASTAVA	9429	26/01/1960	31/01/2022	SURGEON	Balrampur Hospital Lucknow
12.	Dr. RAKESH KUMAR	6682	2/1/1960	31/01/2022	RADIOLOGIST	Balrampur Hospital Lucknow
13.	Dr. RAJ KUMAR	6654	10/10/1959	31/10/2021	TB CHEST DISEASE SPECIALIST	Under CMO Muffarnagar
14.	Dr. TARKESHWAR	7494	22/12/1960	31/12/2022	GYNECOLOGIST	Under CMO Gazipur

15.	Dr. VIRENDRA KUMAR DUBEY	8240	30/12/1959	31/12/2021	ORTHOPAEDICS SPECIALIST	Under CMO Agra
16.	Dr. VINOD KUMAR YADAV	7841	5/1/1960	31/01/2022	EYE SURGEON	District Hospital Jhansi
17.	Dr. SAHAJA NAND RAI	8137	2/1/1960	31/01/2022	OPHTHALMOLOGIST	CHC Jugdishpur (FRU) Amethi
18.	Dr. KIRAN SACHAN	6330	13/01/1960	31/01/2022	GYNECOLOGIST	AHM Hospital Kanpur Nagar
19.	Dr. RAMESH BABU	7442	18/02/1960	28/02/2022	SKIN AND VENEREAL DISEASE SPECIALIST	District Hospital Hathras
20.	Dr. ABHAY VERMA	7875	4/2/1961	28/02/2023	PAEDIATRICIAN	BRD Hospital Mahanagar Lucknow
21.	Dr. SHIV PRASAD	8195	15/04/1961	30/04/2023	OPHTHALMOLOGIST	District Male Hospital Gorakhpur
22.	Dr. SHEKHAR BHARDWAJ	7984	18/10/1959	31/10/2021	SURGEON	Dr. SPM Hospital (Civil) Lucknow
23.	Dr. DUSHYANT KUMAR SINGH	9955	20/01/1960	31/01/2022	PATHOLOGIST	Under CMO Sultanpur
24.	Dr. JAGAT NARAIN TIWARI	8384	2/3/1961	31/03/2023	ENT SPECIALIST	BRD Hospital Mahanagar Lucknow
25.	Dr. AJAY KUMAR	10187	1/7/1961	30/06/2023	EYE SURGEON	UHM Hospital Kanpur Nagar (for DNB)
26.	Dr. SUSHIL KUMAR	8522	18/03/1960	31/03/2022	MEDICINE SPECIALIST	P.L. Sharma District Hospital Meerut
27.	Dr. C L KANNOUJIA	10230	15/02/1961	28/02/2023	EYE SURGEON	District male Hospital Basti
28.	Dr. SHIV SINGH	7993	11/4/1961	30/04/2023	SURGEON	Under CMO (CHC/FRU Navabganj) Bareilly
29.	Dr. MALA KUMARI SINHA	6307	5/2/1960	28/02/2022	GYNECOLOGIST	District Women Hospital Gorakhpur
30.	Dr. HEERA SINGH	6760	10/4/1961	30/04/2023	CHEST DISEASE SPECIALIST	Malkhan singh District Male Hospital Aligarh
31.	Dr. SUNITA PANDEY	7345	8/4/1961	30/04/2023	GYNECOLOGIST	Central Police Hospital Moradabad
32.	Dr. PRADEEP KUMAR SRIVASTAVA	8848	1/7/1961	30/06/2023	RADIOLOGIST	District Women Hospital Gonda
33.	SHIV PRAKASH GAUTAM	7205	12/7/1960	31/07/2022	EYE SURGEON	Dr SPM (Civil) Hospital Lucknow
34.	Dr. PYOOSH KUMAR PANDEY	8829	1/6/1961	31/05/2023	OPHTHALMOLOGIST	M D EYE Hospital Prayagraj
35.	Dr. KARMENDRA	8468	31/05/1961	31/05/2023	PAEDIATRICIAN	District Male Hospital Bairelly
36.	Dr. SUSHMA CHANDRA	6414	1/5/1960	30/04/2022	GYNECOLOGIST	District Women Hospital Ghaziabad
37.	Dr. ARUN KUMAR AGARWAL	8299	10/7/1959	31/07/2021	CHEST DISEASE SPECIALIST	Manyver Kashiram Hospital and Trauma center Rama Devi Kanpur Nagar

एम0बी0बी0एस0

S. No.	Name	Seniority Number	Date Of Birth	Date of Retirement	Comments
1	2	3	4	5	6
1	Dr. RAM ASREY RATNAKAR	10191	22/10/1960	31/10/2022	Under CMO Pratapgarh
2	Dr.Udai Chandra Tiwary	8392	8/12/1959	31/12/2021	Under CMO Ayodhya
3	Dr.VIJAY KUMAR	6986	6/2/1960	28/02/2022	Under CMO Rampur
4	Dr.MUKESH KUMAR SRIVASTAVA	10748	29/04/1961	30/04/2023	Under CMO Gorakhpur
5	Dr.GAURI KANT MISHRA	9950	11/11/1959	30/11/2021	Under CMO Gautam BuddhaNagar
6	Dr.SATISH KUMAR SINGH RANA	9797	22/01/1960	31/01/2022	Under CMO Gautam Buddha Nagar
7	Dr.RAMJI LAL	10052	31/10/1959	31/10/2021	Under CMO Firozabad
8	Dr.KRISHNA KUMAR SRIVASTAVA	9032	4/10/1959	31/10/2021	Under CMO Kanpur Nagar
9	Dr.DILIP KUMAR JATAV	8580	31/01/1960	31/01/2022	Under CMO Mathura
10	Dr. AJIT KUMAR SINGH	8390ka	18/10/1959	31/10/2021	Under CMO Mau
11	Dr.LALDEO	10252	16/03/1960	31/03/2022	Under CMO Siddharthnagar
12	Dr.SUDHIR KUMAR	11821	5/5/1961	31/05/2023	Under CMO Muzaffarnagar
13	Dr.RAMA KANT	10167	19/07/1960	31/07/2022	Under CMO Amethi
14	Dr.JASVINDER SINGH BAKSHI	10100	12/6/1961	30/06/2023	Under CMO Lalitapur
15	Dr. SATYA DEO SINGH	11838	12/1/1960	31/01/2022	Under CMO Santkabirnagar

For Selected Candidate:-

a. It is mandatory to submit their Manav Sampada forms within 15 days of joining if their Manav Sampada form has not been filled in the past. The form must be signed by their respective CMO/CMS/office head. It is their duty to ensure the form reaches Swathya Bhawan within 15 days of joining.

b. It is mandatory to submit their Joining report forms within 15 days of joining. The report must be signed by their respective CMO/CMS/office head. It is their duty to ensure the report reaches Swathya Bhawan within 15 days of joining.

c. The time for joining will be 15 days within date of appointment.

(डा0 बृजेश राठौर)
महानिदेशक

संख्या–1फ / विशेषज्ञ / पुनर्योजन विस्तार / 2022–23 / तद्दिनांक। 1689 (11)

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2– प्रमुख सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उ0प्र0 शासन।
3– मिशन निदेशक, एन0आर0एच0एम0, लखनऊ।
4– संबंधित मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश।
5–महानिदेशक, परिवार कल्याण, जगतनरायन रोड, उ0प्र0, लखनऊ।
6– सम्बंधित प्रमुख / मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला (पुरूष / महिला) चिकित्सालय, उ0प्र0।
7–सम्बंधित मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उ0प्र0।
8– सम्बंधित कोषाधिकारी, उ0प्र0।
9– चिकित्सा अनुभाग–2 / 3, उत्तर प्रदेश, शासन।
10– संबंधित चिकित्सा अधिकारी को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि आदेश निर्गत तिथि के 15 दिन के भीतर प्रत्येक दशा में पुनर्योजित पद पर कार्यभार अवश्य ग्रहण कर लें, यदि उक्त अवधि में उनके द्वारा पुनर्योजित पद पर कार्यभार ग्रहण नहीं किया जाता है, तो यह समझा जायेगा कि संबंधित चिकित्सा अधिकारी पुनर्योजन पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु इच्छुक नहीं है, और ऐसी स्थिति में उनके पुनर्योजन को स्वतः निरस्त समझा जायेगा। तथा योगदान तिथि से 15 दिन के अन्दर अपने नियंत्रक अधिकारी की संस्तुति के उपरान्त योगदान आख्या की प्रमाणित प्रति एवं मानव सम्पदा फार्म भर कर अपर निदेशक**(प्रशासन)**को प्रत्येक दशा में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। अन्यथा की दशा में वेतन का भुगतान नहीं हो पायेगा।
11– गार्डफाइल।

अपर निदेशक (प्रशासन)